

17.11.21 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों
 में संग अभियान 2021 केम मोई
 ग्राम पंचायत 22 RD में पेश हुई।
 कादीगण स्वयं उपस्थित। स्टेट की ओर
 से तहसीलदार राजव राजव उपस्थित।
 कादीगण ने साक्ष्य के रूप में स्वयं से
 एवं अपने पिता का जारी प्रमाण पत्र पेश
 किया। स्टेट ने मोई पत्रावली पेश नहीं
 किया एवं न ही मोई साक्ष्य प्रस्तुत
 करना चाह। कादीगण की बहस पूर्ण
 हुई। दौरान बहस कादीगण ने निवेदन
 किया कि कादीगण ने तहसील राजव के
 चक 11/CPD के चक नं. 159/33 कु. नं. 27
 की 1.872 हेक्टेयर भूमि अरिफे के नाम पर
 खरीद की थी जिसने कादीगण की जारी

हावतसे वाकरी दर्ज हो गई जिसे माल
 पर नामान्तरण दर्ज होने के बाद पत्रिका
 पत्रिका में भी जाति वाकरी दर्ज हो गई
 जबकि वादीगण की जाति नामक है
 तथा वादीगण के जाति प्रमाण पत्र में
 भी जाति नामक दर्ज है। इसलिए वादीगण
 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की जाति
 वाकरी के स्थान पर नामक दर्ज किए
 जाने के आदेश प्रदान करें। तहसीलदार
 राजस्व राकवा ने भी एतराज प्रस्तुत
 नहीं किया तथा वादीगण का का
 स्वीकार करने के लिये लखनौर पत्रादेश क्र. १००
 वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर
 वादीगण की शक्ति तहसील राकवा के पत्र
 ॥ ११३ के प. सं. १५१/३३ क्र. नं. २७ की तारीख
 १-१७-१९७८ ई. में कृषि शक्ति के राजस्व
 रिकॉर्ड में वादीगण की जाति वाकरी
 के स्थान पर नामक दर्ज करने का
 आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार
 राजस्व राकवा को आदेशित किया जाता

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन रूपे पत्रावली केसलसुमाए डोकर हाखिल दाखल हो।</p> <p>यह आदेश आज दिनांक 17/11/2021 को कैम्पकोट ग्रामपंचायत 22RJD में</p> <p>मजम - र - नाम सुनाया गया।</p> <p>(आश्रित्याषा) उपखण्ड अधिकारी घडसाना</p>	